डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

सलमा बेगम उर्फ सलामो पुत्री बल्ली जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील सूरौठ, जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादीया

बनाम

1. तहसीलदारजी तहसील सूरौठ जिला करौली, राजस्थान। (लैण्ड होल्डर)
2. अतीक पुत्र बल्ली जाति मुसलमान, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ।
3. कलाम पुत्र बल्ली जाति मुसलमान, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ।
4. गब्बरसिंह पुत्र रामखिलाड़ी, जाति कोली, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ।
5. ताराचन्द पुत्र गंगोलीराम जाति कोली, निवासी महूकलां, तहसील हिण्डौन।
6. रईस पुत्र बल्ली जाति मुसलमान, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ।
7. लईक पुत्र बल्ली जाति मुसलमान, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ।
8. लीलावती पत्नि ताराचन्द जाति कोली, निवासी हाडोली, तहसील सूरौठ।
9. शब्बीर पुत्र बल्ली, जाति मुसलमान, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ।
10. सलाम पुत्र बल्ली जाति मुसलमान, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ, जिला करौली राजस्थान ———————————————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक (इन्द्राज दुरूस्ती)

मुकदमा नं0 47/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू .... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.56 है0, 1028 रकबा 0.41 है0, 1030 रकबा 0.50 है0, 1031 रकबा 0.45 है0 कुल किता 4

कुल रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम हाड़ोली तहसील सूरौठ की खातेदारी के कॉलम में वादीया सलामो पुत्री बल्ली हि0 1/20 जाति मुसलमान सा0देह खातेदार के स्थान पर सलमा बेगम पुत्री बल्ली हि0 1/20 जाति मुसलमान सा0देह खातेदार संशोधन/ इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे।तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। निर्णय व डिकी की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.11.2025 को यह डिकी जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 10/11/25

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 47 / 2024 तारीख रजू:– 15.04.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

सलमा बेगम उर्फ सलामो पुत्री बल्ली जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील सूरौठ, जिला करौली राजस्थान। ———————————— वादीया

बनाम

1. तहसीलदारजी तहसील सूरौठ जिला करौली, राजस्थान। (लैण्ड होल्डर)
2. अतीक पुत्र बल्ली जाति मुसलमान, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ।
3. कलाम पुत्र बल्ली जाति मुसलमान, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ।
4. गब्बरसिंह पुत्र रामखिलाड़ी, जाति कोली, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ।
5. ताराचन्द पुत्र गंगोलीराम जाति कोली, निवासी महूकलां, तहसील हिण्डौन।
6. रईस पुत्र बल्ली जाति मुसलमान, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ।
7. लईक पुत्र बल्ली जाति मुसलमान, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ।
8. लीलावती पत्नि ताराचन्द जाति कोली, निवासी हाडोली, तहसील सूरौठ।
9. शब्बीर पुत्र बल्ली, जाति मुसलमान, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ।
10. सलाम पुत्र बल्ली जाति मुसलमान, निवासी हाड़ोली, तहसील सूरौठ, जिला करौली राजस्थान। ———————————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक (दुरूस्ती इन्द्राज) आदि

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीया

निर्णय

दिनांक :–10.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीया ने दावा बाबत इस्तकरारहक (दुरूस्ती इन्द्राज) आदि विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.56 है0, 1028 रकबा 0.41 है0, 1030 रकबा 0.50 है0, 1031 रकबा 0.45 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम हाड़ोली तहसील सूरौठ में स्थित है। जो वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10

की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसमें वादिया का 1/20 हिस्सा रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का आम बोलचाल का नाम सलामो पुत्री बल्ली दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादिया के समस्त सरकारी रिकॉर्ड मसलन, आधार कार्ड, फोटो पहचान–पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में नाम सलमा बेगम पुत्री बल्ली दर्ज है। इसलिए वादिया का नाम उक्त आराजीयात के खातेदारी के कॉलम में सलामो के स्थान पर सलमा बेगम उर्फ सलामो दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

वाद पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि दिनांक 10.02.2024 को वादिया अपनी आराजीयात की के.सी.सी. की पत्रावली बनवाने हल्का पटवारी के पास गई, तो हल्का पटवारी ने के.सी.सी. की पत्रावली बनाने से मना कर दिया और कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में आप पहले अपने नाम का शुद्धिकरण करवाओ, तब जाकर आपकी पत्रावली की फाईल बनेगी। तथा उक्त नाम संशोधन के लिए आप न्यायालय एस0डी0एम0 कोर्ट में जाकर दुरुस्ती का दावा करो। इसलिए वादिया द्वारा श्रीमान न्यायालय में दावा बाबत इस्तकरारहक (दुरुस्ती इन्द्राज) पेश किया जा रहा है।

वाद पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा दिनांक 10.02.2024 को हल्का पटवारी द्वारा के.सी.सी. की पत्रावली बनाने से मना करने के कारण वमुकाम ग्राम हाड़ोली, तहसील सूरौठ में पैदा हुआ है।

वाद पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि बिनाय मुखास्मत व निवास फरीकेन की दृष्टि से एवं वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम हाड़ोली, तहसील सूरौठ में स्थित होने से उक्त वादपत्र की सुनवाई का अधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि दावा हाजा पर निश्चित कोर्ट फीस अदा की गई है।

वाद पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि दावा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि वादिया निम्न इस्तदुआ की प्रार्थना करती है:–

वाद पत्र के मद नं. 7 के उपमद 7 (क) में दर्ज किया है कि वादिया खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाई जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि आराजीयात खसरा नम्बर 1027, 1028, 1030, 1031 कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 हेक्टेयर स्थित ग्राम हाड़ोली, तहसील सूरौठ के खातेदारी के कॉलम में वादिया का नाम सलामो के स्थान पर सलमा बेगम उर्फ सलामो पुत्री बल्ली संशोधित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद पत्र के मद नं. 7 के उपमद 7 (ख) में दर्ज किया है कि अन्य कोई दादरसी जो करीने इन्साफ बहक वादिया पाई जावे, वह भी अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 ता 10 ने दिनांक 14.05.2024 को उपस्थित होकर एक राजीनामा पेश किया, जिसमें अंकित किया है कि वादी का नाम सलामो पुत्री बल्ली के स्थान पर सलमा बेगम उर्फ सलामों पुत्री बल्ली संशोधन किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं01 तहसीलदार तहसील सूरौठ ने उक्त वाद पत्र के जबाव में पत्रांक कोर्ट/2024/490 दिनांक 13.11.2024 को पेश कर पत्र में अंकित किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के वाद सं0 47/2024 उनवान सलमा बेगम बनाम तहसीलदार सूरौठ में मुताविक पटवारी हल्का चिनायटा एवं भू- अभिलेख निरीक्षक शेरपुर द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट निम्नानुसार है

1. यह कि, आराजी खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.56 है0, 1028 रकबा 0.41 है0, 1030 रकबा 0.50 है0, 1031 रकबा 0.45 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 है0 अतीक कलाम रईस लईक शब्बीर सलाम पुत्र बल्ली, सलामो पुत्री बल्ली हि0 2/5, जाति मुसलमान, गब्बरसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति कोली हि0 1/5, ताराचन्द पुत्र गंगोलीराम हि0 6/55 जाति कोली, लीलावती पत्नि ताराचन्द हि0 15/55 जाति कोली सा0देह खातेदार दर्ज है।

2. यह कि, उक्त खसरों में प्रार्थीया का नाम सलामो पुत्री बल्ली हि0 1/20 जाति मुसलमान दउर्ज है जबकि प्रार्थीया द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का नाम सलमा बेगम पुत्री बल्ली मोहम्मद दर्ज है।

3. यह कि, जमाबन्दी में दर्ज सलामो पुत्री बल्ली नामान्तकरण सं0 551 दिनांक 05.06.2009 में बल्ली पिता छोटे खॉ की मृत्यु उपरान्त विरासत के नामान्तकरण से आया है जो वर्तमान में भी जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है।

4. यह कि, उक्त की जानकारी मजमेआम में करने पर उपस्थिति ग्रामवासियों ने बताया कि सलामों पुत्री बल्ली एवं सलमा बेगम पुत्री बल्ली एक ही व्यक्ति के नाम हैं।

वकील वादीया ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071-74 पेश की है तथा प्रतिवादी सं01 ने दस्तावेजी सबूत में नकल नामान्तकरण सं0 551 दिनांक 05.06.2009, फोटो प्रति जन आधार कार्ड परिवार पहचान सं0 5117437487 सलमा बेगम पत्नि साबिर खान निवासी बी-29, मदीना नगर, खोनागोरियान, वार्ड नं0 49, जयपुर हेरिटेज, जयपुर -302031, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 940540669046 सलमा बेगम निवासी बी-29,

मदीना नगर विस्तार, खोनागोरियान, जामडौली जयपुर राजस्थान –302031, फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र सं0 आरबीपी 3202405 सलमा बेगम पत्नि साबिर खान निवासी बी–29, मदीना नगर, खोनागोरियान, जामडौली, सांगानेर, जयपुर राजस्थान –302031, फोटो प्रति पेन कार्ड आयकर विभाग भारत सरकार स्थायी लेखा संख्या कार्ड नं0 ESSPB2564N सलमा बेगम पुत्री बली मोहम्मद, पेश किये हैं।

वकील वादीया उपस्थित। वकील वादीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीया ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीया का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीया की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.56 है0, 1028 रकबा 0.41 है0, 1030 रकबा 0.50 है0, 1031 रकबा 0.45 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम हाड़ोली तहसील सूरौठ की खातेदारी अतीक पुत्र वल्ली हि0 1/20, कलाम पुत्र बल्ली हि0 1/10, रईस पुत्र वल्ली हि0 1/20, लईक पुत्र वल्ली हि0 1/20, शव्वीर पुत्र वल्ली हि0 1/20, सलाम पुत्र वल्ली हि0 1/20, सलामो पुत्री बल्ली हि0 1/20 जातियान मुसलमान सा0देह खातेदार, गब्बरसिंह पुत्र रामखिलाडी हि0 1/5 जाति कोली सा0देह खातेदार, तारामचन्द पुत्र गंगोलीराम हि0 6/55 जाति कोली सा0 महूकला खातेदार, लीलावती पत्नि ताराचन्द हि0 16/55 जाति कोली सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल नामान्तकरण सं0 551 दिनांक 05.06.2009 वल्ली पुत्र छोटे खॉ जाति मुसलमान सा0देह खातेदार के खातेदार फोत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान सलाम कलाम रईस लईक अतीक शब्बीर पि0 वल्ली, सलामो पुत्री वल्ली, अकीला बेबा वल्ली के नाम भरकर तस्दीक किया गया है।

फोटो प्रति जन आधार कार्ड परिवार पहचान सं0 5117437487 सलमा बेगम पत्नि साबिर खान निवासी बी–29, मदीना नगर, खोनागोरियान, वार्ड नं0 49, जयपुर हेरिटेज, जयपुर –302031 के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 940540669046 सलमा बेगम निवासी बी–29, मदीना नगर विस्तार, खोनागोरियान, जामडौली जयपुर राजस्थान –302031 के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र सं0 आरबीपी 3202405 सलमा बेगम पत्नि साबिर खान निवासी बी–29, मदीना नगर, खोनागोरियान, जामडौली, सांगानेर, जयपुर राजस्थान –302031 के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति पेन कार्ड आयकर विभाग भारत सरकार स्थायी लेखा संख्या कार्ड नं0 ESSPB2564N सलमा बेगम पुत्री बली मोहम्मद के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.56 है0, 1028 रकबा 0.41 है0, 1030 रकबा 0.50 है0, 1031 रकबा 0.45 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम हाड़ोली तहसील सूरौठ की खातेदारी के कॉलम में वादीया सलामो पुत्री बल्ली हि0 1/20 जातियान मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है जबकि वादीया के अन्य दस्तावेजों में सलमा बेगम दर्ज रिकार्ड है। सलमा बेगम एवं सलामो एक ही व्यक्ति होना तहसीलदार सूरौठ ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। ऐसी स्थिति में वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में सलमा बेगम पुत्री बल्ली सशोंधन कराने की वादीया अधिकारी हैं। इस प्रकार वादीया का दावा बाबत् इस्तकरार हक (दुरूस्ती इन्द्राज) खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक (दुरूस्ती इन्द्राज) डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.56 है0, 1028 रकबा 0.41 है0, 1030 रकबा 0.50 है0, 1031 रकबा 0.45 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम हाड़ोली तहसील सूरौठ की खातेदारी के कॉलम में वादीया सलामो पुत्री बल्ली हि0 1/20 जाति मुसलमान सा0देह खातेदार के स्थान पर सलमा बेगम पुत्री बल्ली हि0 1/20 जाति मुसलमान सा0देह खातेदार संशोधन/ इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 10/11/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली